

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक:नियो० / 2023 / पीओ-67 / 1037

दिनांक: 10/01/2023

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या- 128/5 दिनांक 28.12.2022 को उ०प्र० डेटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के अर्न्तगत डेटा सेन्टर की अनुमन्यता हेतु भवन विनियमनयावली-2010 (यथा संशोधित) में संशोधन किये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमनयावली-2010(यथासंशोधित) के प्रस्तर संख्या-24.5.1(3), प्रस्तर संख्या- 24.5.1 में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ें जाने प्रस्तावित है।

- प्रस्तर संख्या- 24.5.1(3) (xiii) In Data Center Plots the area utilized for diesel generating sets shall not include in Floor area Ratio
- प्रस्तर संख्या-24.5.1 में (3A) In Data Center Plots Additional area for diesel generating sets can be counted toward FAR while calculating minimum required FAR for completion and same can be counted in service FAR later .
- प्रस्तर संख्या-24.5.1 (4A) In Data Center Plots 40% of prescribed FAR shall be added towards common areas, which shall include the following built structures. The structures on ground will be counted in ground coverage

1 to 14 as per 24.5.1(4)

15. Additional area for diesel generating sets.

उपरोक्त संशोधन का विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है। उक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से सायंकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर महाप्रबन्धक नियोजन ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा को सम्बोधित करते हुए लिखित एवं आधिकारिक आईडी-sudheerkumar@gnida.in के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है।

उपरोक्त अनुमोदित संशोधनों पर आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति/संस्था को अपना नाम/पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

S16
01/09/2023

कृपया प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या- 128/5 दिनांक 28.12.2022 को उ0प्र0 डेटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 के अर्न्तगत डेटा सेन्टर की अनुमन्यता हेतु भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित) में संशोधन किये जाने सम्बन्ध में अनुमोदित किया गया। ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली-2010(यथासंशोधित) के प्रस्तर संख्या-24.5.1 में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

प्रस्ताव-1

उत्तर प्रदेश शासन के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 की दिनांक 07 नवम्बर, 2022 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जारी "उत्तर प्रदेश डेटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021" को अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव-2

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली-2010(यथासंशोधित) के प्रस्तर संख्या-24.5.1(3) में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

(xiii) In Data Center Plots the area utilized for diesel generating sets shall not include in Floor area Ratio

प्रस्ताव-3

- ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली-2010(यथासंशोधित) के प्रस्तर संख्या-24.5.1 में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

(4A) In Data Center Plots 40% of prescribed FAR shall be added towards common areas, which shall include the following built structures. The structures on ground will be counted in ground coverage

1. Canopy projections of area as mentioned in table. 4, no construction of any type shall be permitted over the canopy. Canopy if cantilevered and no structure on it having a size of 2.4 metre x 4.5 metre shall not be counted in Ground Coverage.
2. Loft up to maximum height of 1.5 metre.
3. Air-conditioning plant, electrical installation, generator room, water works, water tank etc.
4. Watchmen/Security shelters and watch towers.
5. Garbage shafts lift shafts and 10sqmtr lobby in front of each lift (excluding area of corridor beyond the lift).
6. Fire escape staircases.
7. Toilet blocks for visitors, drivers, guards etc on ground floor only.
8. Mummy, machine room for lifts.
9. Cupboards upto a depth of 0.6mtr. and 1.80mtr. in length.
10. Bay window upto a depth of 0.60mtr. and 2.0 m. length.
11. Refuge area as per definition for fire evacuation and National Building Code 2005.
12. Sewage treatment plant, water treatment plant, garbage collection center Electric sub- station, service ducts.
13. Covered walk ways and pathways.
14. Any other utilities and facilities as decided by the chief Executive officer depending on its requirement.
15. Additional area for diesel generating sets.

प्रस्ताव-4

- ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन विनियमावली-2010(यथासंशोधित) के प्रस्तर संख्या-24.5.1 में निम्नलिखित बिन्दु जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

(3A) In Data Center Plots Additional area for diesel generating sets can be counted toward FAR while calculating minimum required FAR for completion and same can be counted in service FAR later .

उपरोक्त के कम में जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु संशोधित प्रस्तर को 2 राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित करने एवं ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर 15 दिनों के लिए अपलोड किये जाने हेतु पत्र संलग्न है। तदनुसार पत्रावली के पार्श्व में सार्वजनिक सूचना का आलेख अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।


Signed by
Ashwini Sharma
ASSISTANT MANAGER
07/01/23 16:55:37
सहायक प्रबन्धक नियोजन

Signed by
Lal Singh
ASSISTANT MANAGER
07/01/23 17:20:21

सहायक प्रबन्धक नियोजन

प्रभारी महाप्रबन्धक नियोजन

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी



07/01/23
SM (Dk)

818
01/07/2023, 18:2



816
01/09/2023, 18:56:10

Am(L)


09/01/23

818
01/09/2023, 19:31:41

pl issue letter

344
01/10/2023, 11:12:17

jagmohn mehra

344
01/10/2023, 11:12:09